

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प ..... सदर .....

-: आदेश :-

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ..... सदर ..... व भू.अ.नि. रामगढ़ की रिपोर्ट तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू - राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खैरा की दाणी तहसील रामगढ़-शेखावाटी व जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत् 2074 में खाता संख्या 60 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:-

क्रसं	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	खैरा की दाणी	60	खातदारक समस्त जाति वमाद	खातदारक समस्त जाति में बदल

क्रमांक :-

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार रामगढ़-शेखावाटी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)

1986  
5/6/18

63